

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2744861 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक :- एफ.4(ई) जे-126 / 2023 / अलेसे-III / 1010

दिनांक :- 02.07.2025

कार्यालय आदेश

सुश्री ज्योति सुवालका, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 785080) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) हाल कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बून्दी को कोषाधिकारी, बून्दी के पत्र दिनांक 11.03.2025 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

दिनांक 31.01.2025 से 10.02.2025 तक (कुल 11 दिवस) (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री ज्योति सुवालका, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई) जे-126 / 2023 / अलेसे-III / 1010

दिनांक :- 02.07.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बून्दी।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. सुश्री ज्योति सुवालका, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 785080) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बून्दी।
4. पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / गोपनीय शाखा।


(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II / III)